



533/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 11506 /28/76/एक/2018-19
सेवा में,

दिनांक : 07 मार्च 2019

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-गोरखपुर।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
बैंक आफ बड़ौदा	18920100012490	IFSC Code BARBOGEEATP	258.075

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० पिपराईच	वार्ड नं० 08 में राजेश गुप्ता के मकान से रतन राम के मकान होते हुए डा० कुमकुम सिंह के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.100	100%
2	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० पिपराईच	वार्ड नं० 08 में रामरतन के मकान से श्री रविराम के घर होते हुए बृजेश के घर से सुरेश राजभर के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.426	100%
3	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० पिपराईच	वार्ड नं० 09 में शास्त्री नगर में रामचन्द्र के घर से दिनेश सैनी के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	20.561	100%
4	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० पिपराईच	वार्ड नं० 09 में शास्त्री नगर में दिनेश सैनी के घर से मुर्गी फार्म तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	21.033	100%
5	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० पिपराईच	वार्ड नं० 09 में शास्त्री नगर में किस्तू राजा स्कूल से मुर्गी फार्म तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	23.248	100%
6	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० गोलाबाजार	वार्ड नं० 01 में सदानन्द के घर से विश्वनाथ के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	3.416	100%
7	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० गोलाबाजार	वार्ड नं० 01 में चन्द्रभान के घर से रामलाल के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	2.776	100%
8	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० गोलाबाजार	वार्ड नं० 01 में सुरेश के घर से शंकर हरिजन के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.121	100%
9	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं०	वार्ड नं० 02 में वसीउल्ला के घर से गुड्डू के घर	3.648	100%



533/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
			गोलाबाजार	तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।		
10	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० गोलाबाजार	वार्ड नं० 05 में मारकण्डेय उमर के घर से हनुमान मन्दिर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	15.605	100%
11	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० गोलाबाजार	वार्ड नं० 05 में उर्मिला यादव के घर से रंजीत ठठेरा के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	19.218	100%
12	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० बड़हलगंज	वार्ड नं० 03 बड़हलगंज में मुखलाल के घर से पोस्ट ऑफिस के गली तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	17.492	100%
13	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० बड़हलगंज	वार्ड नं० 03 बड़हलगंज में संगम सोनकर से मुखलाल के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	19.867	100%
14	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० बड़हलगंज	वार्ड नं० 10 बड़हलगंज में बेरीटल छावनी से शिव मन्दिर होते हुए अलीराजा के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	16.121	100%
15	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० बड़हलगंज	वार्ड नं० 10 बड़हलगंज में अलीराजा से समीम कुरेसी के घर होते हुए नवीसुल के घरा तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	9.395	100%
16	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० बड़हलगंज	वार्ड 13/11 बड़हलगंज में बेचज जायसवाल के घर से मोबाइल टावर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	12.945	100%
17	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० बांसगांव	वार्ड नं० 02 में राजू के घर से हरिलाल के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.559	100%
18	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० बांसगांव	वार्ड नं० 02 में चन्द्रभान के घर से सुरेश के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.897	100%
19	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० बांसगांव	वार्ड नं० 02 में शिव शंकर के घर से राजेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	6.922	100%
20	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० बांसगांव	वार्ड नं० 11 में राम किरन के घर से शिव मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.039	100%
21	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० बांसगांव	वार्ड नं० 11 में बाल कुंवर के घर से टून्नु सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.033	100%
22	गोरखपुर	म०ब०-83	न०पं० बांसगांव	वार्ड नं० 11 में बेचन मल्लाह के घर से सुखराज मल्लाह के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.653	100%
	योग				258.075	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-



533/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

